

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
01/03/2007	उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा। R.M.A Case No. -06/2007-08 सुमित्रा देवी गुप्ता एवं अन्य बनाम मदिना बीबी। आदेश यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक-07.09.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के वाद वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक-07.09.2006 में दिनांक-07.09.2006 के द्वारा 1. शेख शमशेर पिता-शेख सुलेमान व शेख गुडू, पिता-शेख शाही, व शेख रुस्तम पिता-स्व० शेख रहीम निवासी-धाँधड़ा को मौजा-धाँधड़ा को दाग सं०-488 के अंश रकवा-0.23 डी० से 2. शेख रुस्तम, पिता-शेख अब्दुल रहीम व शेख शमशेर पिता-स्व० शेख सुलेमान निवासी धाँधड़ा को मौजा-धाँधड़ा को दाग सं०-345 का अंश रकवा-0.24 डी० से 3. शेख कुरवान, पिता-शेख स्व० मैजुल, निवासी धाँधड़ा को धाँधड़ा दाग सं०-488 अंश रकवा-0.03 डी० एवं मौजा-पाथरवापड़ा दाग सं०-189 आंशिक रकवा-0.08 डी० व दाग सं०-200 अंश रकवा-0.17 डी० से 4. सलीम मियाँ पिता-हाबु मियाँ, निवासी-पाडेड़िया, हाल में धाँधड़ा को मौजा-धाँधड़ा के दाग सं०-500 अंश रकवा-0.01 डी० से 5. अरुण साह, नन्दु साह, रंजीत साह, अरबिंद साह, सरकार साह सभी पिता-प्यारेलाल साह, निवासी जामताड़ा मौजा-धाँधड़ा को दाग सं०-500 के अंश रकवा-0.72 डी० से 6. मनोज कुमार गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता दोनों पिता स्व० वेदप्रकाश गुप्ता निवासी धाँधड़ा को मौजा-धाँधड़ा को दाग सं०-505, 507 एवं 508 के क्रमशः अंश रकवा-0.04 डी०, 0.21 डी० एवं 0.15 डी० से 7. विवेक कुमार लच्छीरामका, पिता-स्व० प्रहलाद लच्छीरामका निवासी-जामताड़ा को मौजा-धाँधड़ा को दाग सं०-508 के अंश रकवा-0.05 डी० से उच्छेद करने हेतु अंचल अधिकारी जामताड़ा को आदेश दिया गया है। पक्षकार के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा दिनांक-11.07.2013 को दाखिल किये गये Withdrawal petition के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया। विपक्षी के अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक-07.09.2006 को पारित आदेश को न्यायसंगत कहा गया। उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं Withdrawal petition का अवलोकन किया गया। अतः अपीलकर्ता द्वारा दाखिल किये गये Withdrawal Petition के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक-07.09.2006 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, जामताड़ा। उपायुक्त, जामताड़ा।	Seen. 11.3.24